

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

Rg.30



R5106-II/16

गोकुल प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 वशिष्ठ राम पाण्डेय, उम्र 50 वर्ष,  
पेशा कृषि, निवासी ग्राम तुर्की, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला  
सतना (म0प्र0) —————निगरानीकर्ता

बनाम

हीराबाई पति राममिलन पाण्डेय, साकिन तुर्की, तहसील रामपुर  
बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0) —————गैरनिगरानीकर्ता

श्रीचक्रवर्ती द्वारा आज दिनांक 26-12-15 के प्रस्तुत किया गया।

रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध रा0नि0 रामपुर बाघेलान  
के सीमांकन प्रक0क0-17/अ-12/  
15-16 आदेश दिनांक 28/12/2015  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू  
राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-


- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक-17/अ-12/2015-16 आदेश दिनांक 28/12/2015 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2- यह कि निगरानीकर्ता को बगैर सूचना दिये रा0नि0 रामपुर बाघेलान, जिला सतना द्वारा दिनांक 08/12/2015 एवं उसक उपरांत दिनांक 18/12/2015 को सीमांकन किया गया व उक्त सीमांकन पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे दिनांक 18/12/2015 को उक्त सीमांकन की पुष्टि की गयी है । म0प्र0 भू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.5106-II/16

जिला-सतना

गोकुल प्रसाद पाण्डेय / हीराबाई पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	